

19

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12086 निगरानी 24186-II-16

प्रभात कुमार सिंह पुत्र कौकराज सिंह चौहान,  
निवासी ग्राम- करौदिया दक्षिण टौला, तेहसील-  
गोपदवनास जिला सीधी-मध्यप्रदेश।

श्री जयराज सिंह राजगोपाल, कलकत्ता  
द्वारा आज दि. 9-12-16 को  
प्रस्तुत

----- प्रार्थी

बिराध

फ्लर्क ऑफ कोर्ट - 12-16  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
731  
9-12-16

- १- विनाद सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह चौहान,
- २- जयसिंह पुत्र राजबहादुर सिंह चौहान,  
निवासी ग्राम करौदिया दक्षिण टौला,  
तेहसील- गोपदवनास जिला सीधी-म.प्र.
- ३- मध्यप्रदेश शासन।

----- प्रतिप्रार्थीगण

अ.प्र.रा.सि.  
०९/१२/१६

निगरानी बिराध आवेश एस०डी०जी० महोदय, गोपदवनास  
जिला सीधी दिनांकी १७-११-१६ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश  
मू-राजस्व संहिता, १९५६। प्र०क्र० ७६।१५-१६ अपील।

प्रतिप्रार्थी  
अ.प्र.रा.सि.  
०९/१२/१६

श्रीमान् जी,

निगरानी आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०डी०जी० महोदय की प्रकृत प्रकृत आशा कानूनन सही नहीं है।
- २- यह कि, एस०डी०जी० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।
- ३- यह कि, एस०डी०जी० महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील सरासर अवधि वाला थी। विलम्ब क्षमा का कोई समाधान कारण न होते हुये भी तथा विलम्ब के प्रत्येक दिवस का स्पष्टीकरण न होते हुये भी विलम्ब क्षमा किये जाने का एक आवेदन दिये जाने में मूल की गई है।


M

०९/१२/१६

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4186-दो/16 जिला -सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
10 .7.17	<p>आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवरथी तथा अनावेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक स्वयं श्री प्रभात कुमार सिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण को वह अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं। आवेदक का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p> सदस्य</p>